तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नाजिया बनाम श्रीचन्द वगै०
14/01/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 03/02/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
3/2/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 4/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
4/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० पत्राव० वास्ते बहस दिनांक 25/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
25/3/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 12/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० पत्राव० में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
23/5/25	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र प्राप्त खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 114 / 2024

नानिगा पुत्र फगनी जाति जाटव निवासी खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्रीचन्द पुत्र फगनी
2. कैलाश पत्नि मोतीलाल जाति जाटव निवासी खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार उच्चैन।

..............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय — दिनांकः—23.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 284 / 0.16, 285 / 1534 / 0.15, 286 / 0.18 बाके ग्राम खरैरा तहसील उच्चैन में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 सहखातेदार काश्तकार काविज आराजी है। उक्त आराजी का अभी कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है जिसके कारण उक्त आराजी पर काश्त को लेकर आये दिन झगडा फसाद होते रहते है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को विना विभाजन कराये विकय करने पर आमादा है। दिनांक 11.06.2022 को अप्रार्थीगण को गैरसायलान संख्या 1 व 2 एकराय होकर आये और आराजी के अच्छे भाग पर जवरन कब्जा करने की धमकी देने लगे तथा सायला को आराजी से वेदखल करने की धमकी दी और आराजी को विना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को विकय कर कब्जा कराने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद रिकार्ड एवं मौके की यथारिथति वनाये रखने हेतू पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 1 के द्वारा दिनांक 06.12.2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल जबाव पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 18.11.2024 को जवाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 जो कि उसका सगा भाई है के साथ सांठ करते हुए झूठे तथ्यों के आधार पेश किया है। जवकि सच्चाई यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त आराजी में से 2 वीघा 03 विस्वा आराजी पूर्ण प्रतिफल अदा कर अरसा करीब 18

Gbharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

वर्ष पूर्व प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से खरीद कर ली थी एवं उक्त खरीद के वक्त ही उक्त आराजी का मनवट के आधार पर विभाजन कर मेरे हिस्से की आराजी का पृथक से डौल मैड कायम कर नम्बर वना दिया है तथा मुझ प्रार्थिनी की एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की कभी भी शामिल काश्त नहीं रही है एवं उक्त आराजी में से शेष हिस्से को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्यत्र व्यक्तियों को जुबानी वेचान कर दिया है तथा उक्त आराजी पर उन्हीं व्यक्तियों की कब्जा एवं काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। अभिभापक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी का आज दिनांक तक कानूनी विभाजन नहीं हुआ है जिसके कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपस में विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभापक अप्रार्थी सं0 2 ने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा उक्त विवादित आराजी से रकवा 2 वीघा 03 विस्वा जमीन अप्रार्थी सं0 1 से 18 वर्ष पूर्व खरीद की थी इस जमीन पर अन्य लोगों के कब्जे थे। अप्रार्थी संख्या उक्त खरीदशुदा जमीन पर 18 वर्ष से काश्त कर रहा है। प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी कोई भी वादकारण पैदा नहीं हुआ है क्योंकि अप्रार्थीगण जयपुर में रहते है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार काविज आराजी है चुंकि सहखातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पावंद किया जाना न्यायेचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजवूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार होने आधार पर कानूनी विभाजन चाहा है एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद करवाना चाहा गया है परन्तु सहखातेदारान को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पावंद नहीं किया जा सकता है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पावंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावितं है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अव सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है एवं प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थीण उक्त आराजी का बेचान अन्य व्यक्तियों को करना चाहते है ऐसा कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे की स्पष्ट हो कि अप्रार्थीगण संख्या उक्त आराजी का बेचान अन्यत्र करना चाहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रार्थी का सगा भाई है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त प्रकरण में इकबाल जवाब पेश किया गया हैं जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के साथ पैक्ट कर पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी को हुई असुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर